न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 02/253/2023 दायर दिनांकः– 09/10/2023
जीसीएमएस नं0ः– 2023/490 निर्णय दिनांकः– 18/11/2025

बउनवान

1. सिंगारी पत्नी जैसीराम जाति जाट निवासी कांटवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

------ प्रार्थीगण

बनाम

1. रत्तीराम पुत्र छीतर जाति जाट निवासी कांटवाडी
2. राजेन्द्र पुत्र बाल्या जाति जाट निवासी कांटवाडी
3. विश्राम पुत्र बाल्या जाति जाट निवासी कांटबाडी
4. सियाराम पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी कांटबाडी
5. हनुमान पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी कांटबाडी
6. महावीर पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी कांटबाडी
7. कला पत्नी रत्तीराम जाति जाट निवासी कांटबाडी
8. रामराज पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी कांटबाडी
9. शिव इन्द्राज पुत्र तेजसिंह जाति जाट निवासी कांटबाडी तहसील कठूमर
10. उप पंजीयक महोदय भनोखर तहसील कठूमर।

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1रामजीलाल शर्मा– अधिवक्ता प्रार्थी
2गिरधारीलाल शर्मा– अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

–::निर्णय::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 631, 635, 633, 630, 655, 610, 654, 632, 634, 637, 636, ग्राम कांटवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी सायल व गैरसायलान के शामलात कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड आराजी जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादीत आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आले आ रहे है तथा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

मौके पर कब्जे काश्त में है। लगान पक्षकार शामलात में अदा कर रहें है।लेकिन अब प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादीत आराजी पर शामलात काश्त में छोटी–छोटी वात को लेकर कहा सुनी हो जाती है। झगडा होता रहता है। जिसके कारण अब अप्रार्थीगण शामलात में काश्त करने में कोई रूचि नहीं लेते है जिसके कारण उक्त आराजीयात पर काश्त करना संभव नहीं है। लेकिन अप्रार्थीगण अब उक्त आराजी को तकसीम कराने को तैयार नहीं है। को मानने को तैयार नहीं है। अप्रार्थीगण अब प्रार्थीगण के हक हिस्सा व घरेलु बटवारा में आई आराजी पर कब्जे काश्त करने में बाधा पैदा करते है झगडा करते है उक्त आराजी से वेदखल करना चाहते है। जो विवादित आराजी को बिना किसी हक व अधिकार के दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है तथा प्रार्थीगण के हिस्सानुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मुताबिक घरू बंटवारा मौके कब्जे के अनुसार स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 20.08.2024 को अप्रार्थीगण की ओर वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिसके वाद अप्रार्थी संख्या 2 की ओर उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.07.2025 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र 09रूल 7 सीपीसी पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 के खिलाफ की गई एकतफा कार्यवाही मन्सूख करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी 09रूल 7 सीपीसी का जवाब दिनांक 29.07.2025 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र 09 रूल 7 सीपीसी पर बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थना पत्र 09रूल 7 सीपीसी स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण प्रार्थना पत्र 09रूल 7 सीपीसी स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 की एक तरफा कार्यवाही को मन्सूख की जाने के वाद अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि तकसीम का वाद प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बरान का मौके पर 50 साल पूर्व ही स्वेच्छा एवं आपसी सहमती से काई बटवारा पूर्व खातेदारान के मध्य नहीं हुआ था तथा ना ही खसरा नम्वर 610 रमेश, चिरंजी पुत्रान सोन्याराम के हक व हिस्से मे आया मौके पर आराजीयात शामलात मे कब्जे काश्त में है तथा रिकॉर्ड मे भी शामलात मे दर्ज चली आ रही है। विवादीत आराजी का करीब 50 साल पहले सायल व गैरसायल के बीच बटंवारा हो चुका है, मौके पर विवादीत आराजी वटी हूई है। सायला द्वारा दिनांक 08.06.2021 को रमेश, चिरंजी से प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी के समस्त खसरा नम्बरान कर हिस्सा खरीद किया गया ना कि खसरा नम्बर 610 रकबा 1.11 हैक्ट0 सामिल , इस प्रकार तमाम तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। स्वयं पूर्व खातेदार रमेश व चिरंजी द्वारा करीब 2015 में पहले नन्दलाल पुत्र बाल्या से ही उक्त अराजी को खरीद किया था तो 50 साल पूर्व बटवारा होने की कहानी स्वतः ही गलत साबित हो जाती है। सायल द्वारा सालिम आराजी का खरीदशुदा हिस्सा से कुल रकबा 3 वीघा 13 विस्वा ही का बेयनामा हुआ था तो रकबा 1.11 हेक्ट0 घरू बटवारे मे कैसे आ गया इससे साफ जाहिर होता है कि सायला खरीदशुदा कृषि भूमि से अधिक रकवे पर इस दर0 के आड मे कब्जा करना चहाती है इस कारण मौके पर बटवारा करवाये जाने का अजनबी क्रेता का कोई राईट नहीं है। प्रर्थी ने दर0 सिर्फ तंग वो परेशान करने की नियत से पेश की है। **एक सह खातेदार दुसरे सह खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करा सकता है।** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी कथन झूठे एवं मनगढन्त है तथ्य छुपाकर पेश किया गया है। जिसके कारण केस व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण प्रर्थीगण को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाके ग्राम कांटवाडी व बयनागा दिनांक 08.06.2021 की छाया प्रति पेश की है।जो शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली के तथ्यों सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड छाया प्रति अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। **सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –**

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

1. प्रथम दृष्टा केसः– प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान का मौके पर 50 साल पूर्व ही स्वेच्छा एवं आपसी सहमती से काई बटवारा पूर्व खातेदारान के मध्य नहीं हुआ था तथा ना ही खसरा नम्बर 610 रमेश, चिरंजी पुत्रान सोन्याराम के हक व हिस्से मे आया मौके पर आराजीयात शामलात मे कब्जे काश्त में है तथा रिकॉर्ड मे भी शामलात मे दर्ज चली आ रही है। प्रार्थना पत्र मुताबिक घरू बंटवारा मौके कब्जे के अनुसार स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधिवक्ता द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तकसीम का वाद प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान का मौके पर 50 साल पूर्व ही स्वेच्छा एवं आपसी सहमती से काई बटवारा पूर्व खातेदारान के मध्य नहीं हुआ था तथा ना ही खसरा नम्बर 610 रमेश, चिरंजी पुत्रान सोन्याराम के हक व हिस्से मे आया मौके पर आराजीयात शामलात मे कब्जे काश्त में है तथा रिकॉर्ड मे भी शामलात मे दर्ज चली आ रही है। विवादीत आराजी का करीब 50 साल पहले सायल व गैरसायल के बीच बटंवारा हो चुका है, मौके पर विवादीत आराजी वटी हूई है। सायला द्वारा दिनांक 08.06.2021 को रमेश, चिरंजी से प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी के समस्त खसरा नम्बरान पर हिस्सा खरीद किया

उपखण्ड अधिकारी

गया ना कि खसरा नम्बर 610 रकबा 1.11 हैक्ट0 सामिल , स्वयं पूर्व खातेदार रमेश व चिरंजी द्वारा करीब 2015 में पहले नन्दलाल पुत्र बाल्या से ही उक्त अराजी को खरीद किया था तो 50 साल पूर्व बटवारा होने की कहानी स्वतः ही गलत साबित हो जाती है। सायल द्वारा सालिम आराजी का खरीदशुदा हिस्सा से कुल रकबा 3 वीघा 13 विस्वा ही का बेयनामा हुआ था तो रकबा 1.11 हेक्ट0 घरू बटवारे मे कैसे आ गया इससे साफ जाहिर होता है कि इस कारण मौके पर बटवारा करवाये जाने का अजनबी केता का कोई राईट नहीं है। प्रर्थी ने दर0 सिर्फ तंग वो परेशान करने की नियत से पेश की है। **एक सह खातेदार दुसरे सह खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही करा सकता है।** जिसके कारण प्रथम दृष्टा केस अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण उक्त विन्दु गैरसायल के पक्ष में बखुवी सावित है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** विवादित आराजी को स्वयं प्रार्थी व पूर्व खातेदार रमेश व चिरंजी द्वारा करीब 2015 में पहले नन्दलाल पुत्र बाल्या से ही उक्त अराजी को खरीद किया था तो 50 साल पूर्व बटवारा होने की कहानी स्वतः ही गलत साबित हो जाती है। मिन गैरसायलान द्वारा तकसीम बउनान मुकदमा राजेन्द्र बनाम सिंगारी विचाधीन है। उक्त मुकदामो को काउन्टर करने के लिये दर पेश की है। जिससे सायल को कोई असुविधा नहीं होती है सायलान को किस तरह की असुविधा हो रही है यह सायलान ने सावित नहीं किया है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

3. **ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–** उपरोक्त विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 2 का कब्जा पाया गया है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान को ना होकर गैरसायलान को होना संभव है। सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति किस तरह हो रही है। यह सायलान ने सावित नहीं किया है। उक्त पक्षकारान के बीच में एक बाद वउनवान राजेन्द्र बनाम सिंगारी

उपखण्ड अधिकारी

विचारधीन है उक्त दोनो वाद की आराजी एवं पक्षकारान समान होने के कारण वादो का फैसला गुणावगुण के आधार व साक्ष्य सबूतो के आधार पर किया जाना शेष है।गैरसायल सं0 2 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है कानूनन एक सहखातेदार को पाबन्द नहीं किया जा सकता जिससे ना पूर्ति होने वाली क्षति गैरसायल को हो सकती है। उक्त बिन्दु गैरसायल के पक्ष में बखुबी सावित है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित ना होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपने पक्ष में सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र सावित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर